बीमा का लाभ उठाना

﴿ الانتفاع بالتأمين ﴾

[*हिन्दी* - **Hindi** - هندي]

मुहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ الانتفاع بالتأمين ﴾

« باللغة الهندية »

محمد صالح المنجد

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

बीमा का लाभ उठाना

प्रश्नः

वर्ष 96 ई. में एक कार से मेरी दुर्घटना हो गई, और मैं अपने कागज़ात बीमा कंपनी को पेश करने वाला था, लेकिन मैं ने उसे पेश नहीं किया यहाँ तक कि वर्ष 2001 ई. में मेरे साथ एक दूसरी दुर्घटना हो गई, और इस में मेरे पास बीमा नहीं था, इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मैं पक्षाघात से पीड़ित हो गया, और मुझे इलाज की आवश्यकता है, मैं बहुत गरीब हूँ , फिर भी

अल्लाह का शुक्र है, और चूंकि मैं ने कोई भी उपाय नहीं छोड़ा मगर उसे करके देख लिया (फिर भी मेरा काम नहीं बना) तो क्या मैं अपने कागज़ात बीमा कंपनी के पास जमा कर सकता हूँ? मैं जिस पीड़ा और संकट में हूँ उसे अल्लाह तआला ही जानता है। मेरे लिए अल्लाह तआला से दुआ करें।

उत्तरः

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है।

अल्लाह की प्रशंसा और गुणगान के बाद, हम अल्लाह तआला से प्रार्थना करते हैं कि आप की बीमारी को ठीक कर दे और आप को स्वस्थ रखे, तथा आप की परेशानी और संकट को दूर कर दे।

अगर आप के बीमा कंपनी को अपने कागज़ात देने का मक़सद यह है कि आप स्वास्थ्य बीमा में भागीदार हैं, या उस से जुड़ना चाहते हैं, तो आप को ज्ञात होना चाहिए कि यह बीमा हराम है, और यही हुक्म तथाकथित जीवन बीमा का भी है, क्योंकि इन

दोनों में बीमा अनुबंध अस्पष्टता और जुआ पर आधारित है। विद्वानों ने यही फत्वा दिया है।

स्थायी समिति के फतावा (15 / 297) में आया है कि :

(क) मुसलमान के लिए इस बात की अनुमति नहीं है कि वह रोग के विरूद्ध अपना बीमा करवाये, चाहे वह इस्लामी देश में रहता हो या काफिरों के देश में, क्योंकि इस में स्पष्ट धोखा और जुआ पाया जाता है।

(ख) मुसलमान के लिए अपने नफ्स या अपने शरीर के सभी या कुछ अंगों, या धन, या जायदाद, या गाड़ियों, या इन्हीं के समान अन्य चीज़ों का बीमा करवाना जाइज़ नहीं है, चाहे वह मुस्लिम देश में रहता हो, या काफिरों के देश में, क्योंकि यह वाणिज्यिक बीमा के प्रकार से है, जो स्पष्ट धोखा और जुआ पर आधारित होने के कारण हराम (निषिद्ध) है। (स्थायी समिति के फतावा से समाप्त हुआ)

तथा शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह कहते हैं : ("बीमा का मतलब यह है कि एक व्यक्ति मासिक रूप से या सालाना एक

निश्चित राशि कंपनी को भुगतान करता है ताकि कंपनी बीमा कराई हुई चीज़ के साथ होने वाली दुर्घटना की गारंटी ले।

यह बात सर्वज्ञात है कि बीमा के लिए भुगतान करने वाला हर हाल में घाटा उठाने वाला होता है, परन्तु कंपनी कभी लाभ अर्जित करती है और कभी घाटा सहती है, अर्थात यदि दुर्घटना इतनी बड़ी है कि वह बीमा कराने वाले के द्वारा भुगतान की गई राशि से अधिक है तो कंपनी घाटा उठाती है, और अगर दुर्घटना इतनी छोटी है कि वह बीमा कराने वाले के द्वारा भुगतान की गई राशि से कम है या सिरे से कोई दुर्घटना ही नहीं घटती है तो कंपनी लाभ उठाने वाली होगी, और बीमा कराने वाला घाटे में रहेगा।

और इस प्रकार का अनुबंध अर्थात ऐसा अनुबंध जिस में इंसान घाटे और लाभ के बीच घूमता रहता है, उस की गणना उस जुआ में है जिसे सर्वशक्तिमान अल्लाह ने अपनी पुस्तक में हराम घोषित किया है और उस का उल्लेख शराब और मूर्तियों की पूजा के साथ किया है।

इस आधार पर इस प्रकार का बीमा हराम है। और मैं नहीं जानता कि धोखा (अस्पष्टता) पर आधारित कोई भी बीमा वैद्ध हो सकता है, बल्कि इस के सभी प्रकार हराम हैं। क्योंकि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने "धोखे और अस्पष्टता की बिक्री से मना किया है।")

तथा वह कहते हैं :

(जीवन बीमा जाइज़ नहीं है। क्योंकि अपने जीवन का बीमा कराने वाले के पास जब मौत का फरिश्ता आता है तो वह उसे बीमा कंपनी पर टालने की ताक़त नहीं रखता है। इसलिए यह एक गलती, मूर्खता और पथभ्रष्टता है, और इस में अल्लाह को छोड़ कर इस कंपनी पर निर्भर करना है, वह यह इस चीज़ पर निर्भर करता है कि जब वह मर जायेगा तो कंपनी उस के वारिसों की रोज़ी रोटी और खर्च को सुनिश्चित करेगी, और यह अल्लाह के अलावा पर भरोसा करना है।

यह मामला दरअसल जुआ से लिया गया है, बल्कि यह वास्तव में जुआ ही है, और अल्लाह तआला ने जुआ को अपनी किताब में शिर्क (अनेकेश्वरवाद), पाँसे के तीरों के द्वारा भाग्य निर्धारित करने और शराब के साथ उल्लेख किया है।

और बीमा में जब एक व्यक्ति धन की एक राशि का भुगतान करता है तो वह लंबे सालों तक भुगतान करता रहता है और घाटे में पड़ जाता है, और अगर शीघ्र ही मर जाता है तो कंपनी घाटा उठाने वाली बन जाती है, और हर वह अनुबंध (मामला) जो घाटा और लाभ के बीच घूमता हो वह जुआ है।" ("फतावा उलमायिल बलदिल हराम" नामी किताब की पृ. संख्या : 652 और 653 से उद्धृत)

दूसरा :

यदि आप बीमा कराने पर मजबूर थे, फिर दुर्घटना हो गई तो आप बीमा कंपनी से उन क़िस्तों की मात्रा में राशि ले सकते हैं जो आप ने भुगतान की है, और जो उस से अधिक हो आप उसे

नहीं लेंगे। अगर वे लोग आप के लिए उस को लेना अवश्य कर दें तो आप उसे भलाई के कामों में दान कर देंगे।

हम आप को अल्लाह तआला से डरने (ईश्भय), उस का आश्रय लेने, उस से अधिक से अधिक प्रार्थना करने की वसीयत करते हैं, क्योंकि जिस ने सर्वशक्तिमान महा पवित्र अति दानशील अस्तित्व के द्वार पर दस्तक दिया वह निराश नहीं हो सकता, तथा हम आप को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फरमान को याद दिलाते हैं कि : "जो आदमी गरीबी से पीड़ित हुआ तो उस ने उसे लोगों पर पेश किया (अर्थात् उस ने लोगों से शिकायी की और उन के सामने अपनी आवश्यकता रखी) तो उस की गरीबी दूर नहीं होगी (अर्थात् उस की आवश्यकता पूरी नहीं होगी और एक ज़रूरत पूरी होगी तो दूसरी ज़रूरत घेर लेगी; क्योंकि उस ने अपने समान ही बेबस पर निर्भर किया है), और जो आदमी गरीबी से पीड़ित हुआ तो उस ने उसे अल्लाह तआला पर पेश किया तो क़रीब है कि अल्लाह तआला उसे शीघ्र या देर से जीविका प्रदान कर दे।" इस हदीस को तिर्मिज़ी (हदीस संख्या : 2326) और अबू दाऊद (हदीस संख्या : 1645)

ने रिवायत किया है, और अल्बानी ने सहीह तिर्मिज़ी में इसे सहीह घोषित किया है।

और अल्लाह तआला ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान रखता है।

इस्लाम प्रश्न और उत्तर